फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण बनाम मिट्ठू लाल सैनी

केस संख्या **101/2022** (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
05.05.2022	उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2022/5051 दिनांक 20.04.2022 से अवगत कराया है कि उनके समक्ष विचाराधीन दावा संख्या 32/2019 देवीलाल बनाम कमला में प्रतिवादी संख्या 26, मिट्ठू लाल सैनी पुत्र स्व॰ श्री चन्दालाल सैनी जाति माली निवासी ग्राम लक्ष्मीनाराणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य में रूकावट पैदा की जा रही है तथा पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारी को फोन एवं वाट्सएप पर मैसेज कर प्रकरण को निस्तारित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करें। अप्रार्थी मिट्ठू लाल ने उपस्थित होकर कथन किया है कि वह गरीब काश्तकार है जिसकी कब्जेशुदा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दौराने सेटलमेन्ट हुई त्रुटि का नाजायज लाभ उठाया जा रहा है । अर्थात वे अप्रार्थी को बार बार जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं। जिससे दुखी व परेशान होकर पीठासीन अधिकारी को सरल मन से निवेदन किया था, जिसमें अप्रार्थी की किसी भी प्रकार की दुर्भावना या कुत्सित विचार नहीं रहे। अप्रार्थी को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं उनकी कार्य प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है। उक्त प्रकरण का विचारण अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा जी से ही करवाना चाहता हूँ। यदि अप्रार्थी से जाने अन जाने में किसी प्रकार से अपने व्यवहार से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अतः उक्त वर्णित पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण नहीं किया जावे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी मिट्ठूलाल सैनी को सुना गया। अप्रार्थी मिट्ठूलाल ने लिखित में अपनी गलती स्वीकार करते हुये पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा में विश्वास जताते हुये उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल नहीं किये जाने का निवेदन किया है। अतः उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से प्राप्त उक्त पत्र पर कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। 05/05/22 जिला कलक्टर जयपुर	